

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्र. एफ 27(41)ग्रावि/गुप-5/आईएवाई/क्यूसी/2015-16/जयपुर जयपुर, दिनांक अक्टूबर, 2015

**“अभिरुचि की अभिव्यक्ति”**

राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों के पंजीयन हेतु प्रेरित करने व समय पर आवास पूर्ण कराने के लिए द्वितीय व तृतीय किश्त प्राप्त कराने हेतु प्रेरित किया जाना है। इस सम्बन्ध में राज्य के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ, पाली, भीलवाडा व राजसमन्द जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल फोन का उपयोग कर रहे, आम जन तक हिन्दी भाषा में एसएमएस के माध्यम से संदेश दिया जाना है इस कार्य में दक्ष/प्रतिष्ठित व अनुभवी फर्मों से “रुचि की अभिव्यक्ति” दिनांक 09.11.2015 को साय: 5:00 तक आमन्त्रित की जाती है।

प्रस्ताव सील बन्द लिफाफे में अथवा ई-मेल iay.rj@nic.in के माध्यम से आवश्यक रूप से कार्यालय अध्यक्ष ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में प्रस्तुत कर दिये जावें। इसके पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विस्तृत विवरण विभागीय वेब-साईट पर ([www.rdprd.gov.in](http://www.rdprd.gov.in)) पर उपलब्ध है।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

## **Expression of interest form**

1. Name of firm with address .....
2. Email address .....
3. Photocopy of registration document .....
4. Documents regarding experience with work orders.....
5. Message charges in Hindi per thousand/each time .....
6. Message charges in Hindi of audio clipping is to be quoted separately.....
7. PAN no. ....
8. Tin no. ....

Signature

### Conditions:-

- ❖ Mobile no. is to be collected by the firm its self.
- ❖ Proof is to be given for send massages.
- ❖ Deduction of income tax/sales tax etc. will be deducted as per rules.
- ❖ I agree to the above condition.